

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि लगभग दो सदियों के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के साथ-साथ कई समस्याएँ भी सामने थीं। विभाजन ने लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य कर दिया। इनके रहने और काम देने की व्यवस्था करना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लगभग 500 से अधिक देशी रियासतों के विलय की समस्या भी सामने चुनौती के रूप में खड़ी थी। इन सबों के साथ-साथ देश को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी प्रदान करनी थी जो सबके लिए उपयोगी एवं उनकी उम्मीदों के अनुरूप हो।

वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी और अब वक्त आ गया है जब हम अपने इस वायदे को पूरी तरह से या पूरे रूप में तो नहीं लेकिन काफी बड़ी हद तक पूरा करेंगे। आधी रात बीते जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत आजादी की नई जिंदगी में



जाग उठेगा। एक लम्हा आता है— और इतिहास में बहुत कम आता है— जब हम पुरानी जिन्दगी से निकलकर नई जिंदगी में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और देश की आत्मा आवाज पाती है। यह उचित है कि इस उचित घड़ी में हम भारत और भारत की जनता और उससे भी आगे बढ़कर मानव जाति की सेवा करने का प्रण लें।

इतिहास के प्रभात में भारत अपनी निरंतर यात्रा पर चला और बेशुमार सदियों ने उसकी कोशिश और शानदार कमालों की गवाही दी और उसकी नाकामयाबियों को

भी अच्छे और बुरे दिन, दोनों में, भारत ने उन उसूलों और सिद्धांतों को कभी नजर में नहीं हटने दिया। इनसे उसने नई ताकत पाई और शक्ति भी आज बदकिस्मति का लम्बा अर्सा खत्म होता है और भारत अपने आपको फिर से पहचान रहा है। जिस विजय को आज हम मना रहे हैं वह सिर्फ एक कदम है, अवसर मिलने की एक शुरुआत है, उन बड़ी-बड़ी सफलताओं और प्राप्तियों की ओर जो हमारा इंतजार कर रही है। क्या हममें इतनी हिम्मत है, इतना ज्ञान है कि इस मौके को न जाने दें — उसका लाभ उठाएँ और भविष्य की चुनौती को मंजूर करें।

आजादी और शक्ति जिम्मेदारियाँ लाती हैं। इन जिम्मेदारियों का बोझ इस सभा पर है जो प्रभुता संपन्न है और भारत की स्वतंत्र जनता की नुमाइंदगी करती है। आजादी के पहले हमने कष्ट झेले और हमारे दिल उन दुखों से भारी हैं— कुछ दुख आज भी मौजूद है। मगर अतीत बीत चुका है भविष्य हमें बुलाता है।

वह भविष्य आरंभ का नहीं है। वह बराबर कोशिश का है, मेहनत का है ताकि हमने जो वायदे किए थे और आज हम जो प्रतिज्ञा करेंगे उन्हें पूरा कर सकें। भारत की सेवा के माने उन करोड़ों की सेवा है जो पीड़ित है, जिसके माने हैं कि गुरुवत और अज्ञानता, बीमारी और नाइंसाफी खत्म कर दी जाएँ। हमारे जमाने की सबसे बड़ी हस्ती की अभिलाषा रही है कि हर इंसान का हर आँसू पोंछ दिया जाए। यह शायद हमारी ताकत के बाहर हो मगर जबतक लोगों के आँखों में दुःख के आँसू हो उस वक्त तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा।

इसलिए हमको बराबर मेहनत करनी है ताकि हमारे सपने साकार हो सकें। यह सपने भारत के लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए भी है क्योंकि आजकल के सारे देश और संसार के लोग आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि उनमें से एक भी अलग रहने की कल्पना नहीं कर सकता। कहते हैं कि शांति अविभाज्य है। इसी तरह आजादी भी और सम्पन्नता और विपद भी, क्योंकि अब इस एक दुनिया के अलग-अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते।

आजाद भारत के लोग भी कई समुदायों, जातियों क्षेत्रों एवं भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी समूह में बंटे हुए थे। इनके खान-पान, रहन-सहन बोल-चाल, सोचने एवं समझने के तरीकों में भी काफी विभिन्नताएँ थीं। इन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि समूचे भारत को कैसे एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए।

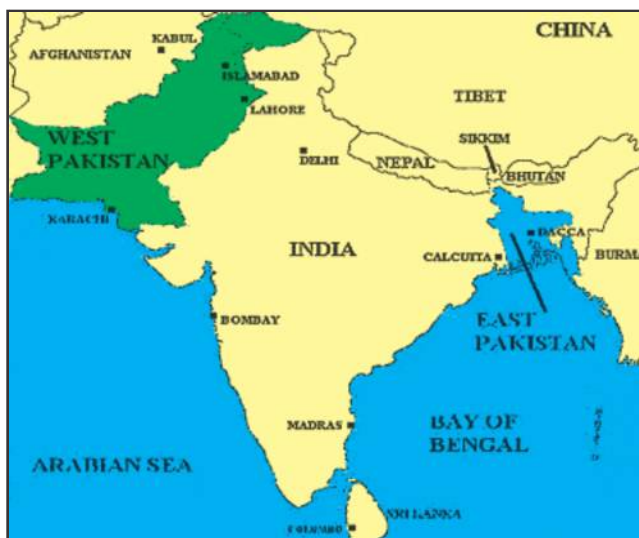
देश को संगठित करने के साथ ही आर्थिक विकास भी एक बड़ी समस्या थी। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 'आम आदमी' को सर्वाधिकार सम्पन्न माना गया है। इसके तहत सबको जो 21 साल की उम्र पुरा कर चुके हो (अब 18 साल ही) अपनी सरकार चुनने का अधिकार अर्थात् मतदान करने का अधिकार दिया गया। शुरू में ब्रिटीश और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी मताधिकार सम्पन्न पुरुषों को ही था, धीरे-धीरे यह शिक्षित पुरुषों को मिला फिर सामान्य पुरुषों को और अंततः स्त्रियों को यह अधिकार मिला जबकि भारत में आजादी के बाद पहले आम चुनाव में ही यह अधिकार सबको प्रदान किया गया।

हमारे संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को जाति-धर्म या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग रहने वालों को कानून की नजर में बराबरी की दृष्टि से देखा। कुछ लोग भारत को भी पाकिस्तान की तरह धर्म केन्द्रित राष्ट्र बनाना चाहते थे लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार किया एवं सभी धर्म के लोगों को समान अवसर प्रदान किया। संविधान की नजर में हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख, ईसाई, जैन आदि धर्मावलम्बी एक समान हैं। लेकिन हमारे संविधान का मानवीय पक्ष यह भी है कि हमारे जो नागरिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, जिनके साथ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा था उसे विशेष संरक्षण देने का प्रावधान किया।

उस समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि के विकास की जरूरत थी। क्योंकि कृषि पर उस समय लगभग 90% जनता निर्भर थी। किसान गाँवों में रहते थे। इन्हें कृषि के लिए मौनसून (वर्षा) पर निर्भर रहना पड़ा था। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था, कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई, बढ़ई लोहार एवं कारीगर वर्ग भी संकट की स्थिति में आ जाते थे। शहर में रहने वाले औद्योगिक मजदूरों की स्थिति भी दयनीय थी। इनके बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी।

अतः आजादी के बाद कृषि के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास की भी आवश्यकता थी ताकि रोजगार की प्राप्ति के साथ-साथ लोगों का जीवन स्तर उठ सके।

आजादी के साथ-साथ विभाजन के कारण धार्मिक उन्माद (साम्प्रदायिकता) ने लगभग संपूर्ण भारत को अपने चपेट में ले लिया था। लेकिन देश के कुछ ग्रामीण इलाके, बिहार और विभाजन से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा देश साम्प्रदायिक विचार धारा से अलग रहा। इन परिस्थितियों में भारत धर्मनिरपेक्षता के बिना एक संगठित तथा मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता था। विकास एवं एकता के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को साथ-साथ चलने के लिए मतभेदों एवं हिंसक टकराव को समाप्त करना अनिवार्य था। साम्प्रदायिकता के साथ-साथ जातिवाद, अमीर-गरीब, शहर-देहात आदि के बीच गहरे मतभेद एवं दूरियाँ थीं। इन दूरियों को पाटना भी आजादी के लिए चुनौती थी।



Lor=rk d: cin foHkkt r Hkkt r vkj u; ikfdLrku dk tUe

u, I fo/kku dk fuek.k

आजादी के पहले ही भारतीयों ने कैबिनेट मिशन की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के लिए अपने संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसके लगभग 300 प्रतिनिधि देश भर से चुनकर आए थे। इन सदस्यों के बीच दिसम्बर 1946 से नवम्बर 1949 तक गंभीर विचार-विमर्श के बाद भारत का संविधान लिखा गया। संविधान के कुछ भाग (उपबन्ध) को 26 नवम्बर 1949 को ही लागू कर दिया गया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया।



fp= 2 & u, I fo/kku ij gLrk[kj djr: iM r ug:

हमारे संविधान की सभी विशेषताएँ इसकी प्रस्तावना में निहित हैं। इसे 'संविधान की कुंजी' भी कहा जाता है। प्रस्तावना इस प्रकार है :- हम, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सामाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं।

हमारे संविधान में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि केन्द्र और राज्य के बीच टकराव न हो। अगर टकराव की संभावना बनती है तो वैसी स्थिति में केन्द्र का कानून ही प्रभावशाली होगा। संविधान सभा ने लम्बे वाद-विवाद के बाद देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को मजबूत और सक्षम बनाने का प्रयास किया। केन्द्र सरकार को कराधान, संचार, रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी दी गई। आम आदमी की जरूरतों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सभी जिम्मेदारियों के निर्वहन का भार राज्य सरकार को दिया गया। हमारे संविधान ने केन्द्र और राज्य के बीच शक्तियों को तीन सूचि में विभाजित किया है। केन्द्र सूचि, राज्य सूचि एवं समवर्ती सूचि। समवर्ती सूचि में वन, कृषि एवं ऐसे विषयों को रखा गया जिसका स्पष्ट विभाजन

**vYil[;dkl dkl ljj{k ,o lEeku inku
djA e[;ef=;kl dk ug: dk i=**

हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कही नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर-मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं।

नहीं किया गया हो। समवर्ती सूची पर केन्द्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। टकराव या मतभेद की स्थिति में केन्द्र का ही कानून प्रभावशाली होगा। संविधान सभा में चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने केन्द्र के हित को प्रधानता दी और कहा कि जब केन्द्र मजबूत होगा, तभी वह पूरे देश के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई सदस्यों ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता और आजादी देने के पक्ष में दलील दी। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में ही केन्द्रित है, इसलिए बाकी देश में इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है।

संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर भी लम्बी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिन्दी को अपनाना चाहते थे। लेकिन गैर हिन्दी भाषियों ने इसका विरोध किया। टी.टी. कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनपर हिन्दी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएँगे। इस विवाद से बचने के लिए हिन्दी को भारत की राजभाषा का तो दर्जा दिया गया लेकिन अदालतों सहित विभिन्न सेवाओं में अंग्रेजी को कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान के निर्माण में डा. भीम राव अम्बेदकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने संविधान सभा में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए आवाज बुलंद की। इनके उत्थान के लिए इन्होंने सरकारी सेवाओं में आरक्षण की वकालत की ताकि सामान्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये चल सकें।

समकालीन राजनीति में आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर संविधान निर्मात्री सभा में वाद-विवाद के दौरान 24 अगस्त 1949 को खाण्डेकर ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में जो प्रश्न उठाया कि संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जातियों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में दी जाने वाली सीटों को सही लाभ तभी मिलेगा जब उनके लिए वैसे ही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किये जायें जिनमें उनकी आबादी बहुमत में है। खाण्डेकर ने इसको और भी स्पष्ट करते हुए यह कहा कि ऐसा नहीं होने पर आम

निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित स्थानों से अनुसूचित जाति के योग्य प्रतिनिधि नहीं निर्वाचित हो सकते हैं, जिसके कारण ससंदीय प्रणाली में उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा।

हमारे संविधान ने राज्य के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए तथा राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहने के उपाय के रूप में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी बताए। राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्व ने यह सुनिश्चित किया कि देश के भौतिक संसाधन का इस्तेमाल सामूहिक हित में किया जाए एवं अधिक धन संग्रह से बचा जाए। संविधान ने समूचे देश के नागरिकों के एक झंडा (तिरंगा), एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे।

आप समझ सकते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे और सशक्त भारत के भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू जी के भाषण के अंश से भी आप समझ सकते हैं कि उनके सपने का भारत कैसा था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात् व्यक्ति की गरिमा और आजादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। यह आदर्श आज तक जिन्दा है। यही कारण है कि हम संविधान का आज भी सम्मान करते हैं।

D;k vki Hkh dN dguk pkgx

संविधान सभा के कई सदस्य संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। एक सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू का कहना था कि यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पायेगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही टप्प हो जाएगा

—संविधान सभा वाद विवाद खंड 11 पृ.-613

jkt;k dk iuxBu fd;k x;k

अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत में राज्यों का गठन किया था। अंग्रेजों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषायी भिन्नता को आधार नहीं बनाया था। लेकिन जब प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई देशों का पुनर्गठन भाषायी

आधार पर किया गया जिनमें रूस, तुर्की और आस्ट्रिया प्रमुख थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1920 के दशक में लोगों की भावनाओं को देखते हुए आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आश्वासन दिया। लेकिन जब भारत को धर्म के आधार पर दंगों और विभाजन के बाद

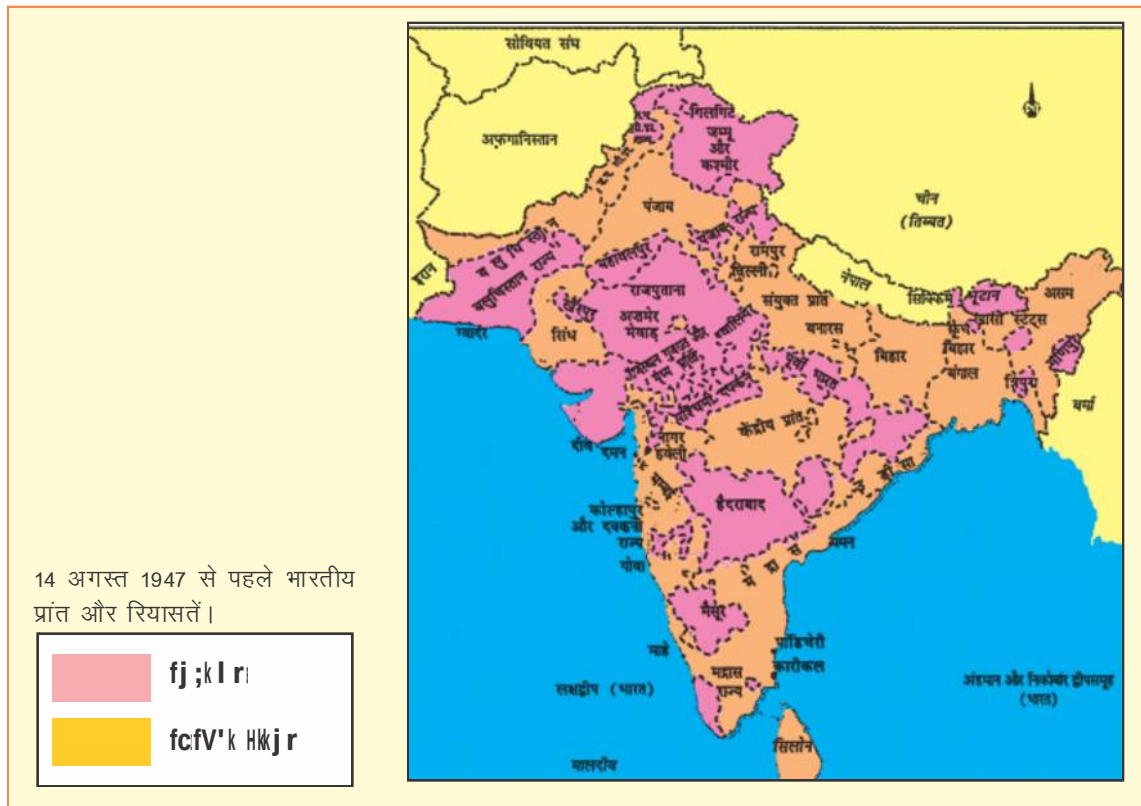


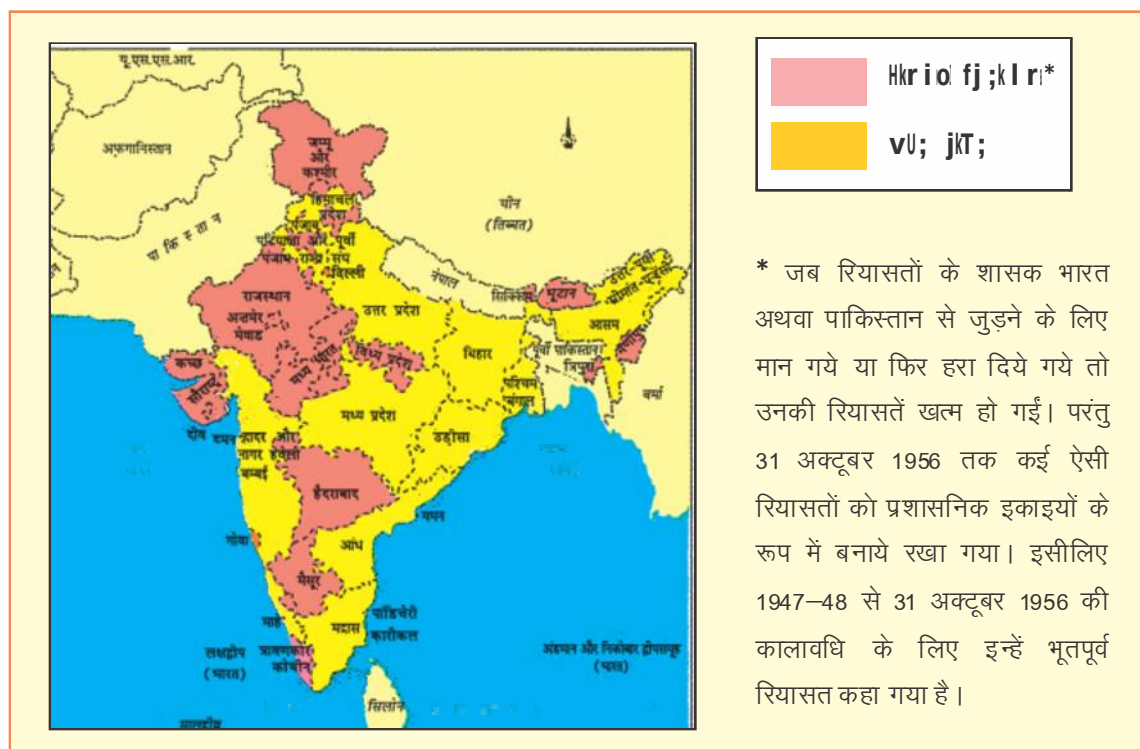
भारत को आजादी मिली तो राष्ट्रीय नेताओं के मन में चिंता हुई कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया तो और कई पाकिस्तान बन सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में नेहरू और बल्लभ भाई पटेल ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। जब लोगों के द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी तो पटेल ने कहा 'इस समय भारत की पहली और अंतिम जरूरत यह है कि इसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालनेवाली हर चीज को दरकिनार कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषायी प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है। इस कसौटी के हिसाब से हमारे राज्य में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता।'

राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 1920 के दशक में किए गए वायदे से मुकरने के कारण क्षेत्रीय भाषा-भाषी जैसे तेलगू, तमिल, मराठी, कन्नड़ बोलने वालों में असंतोष पनपने लगा। विशेष रूप से तेलगू भाषी लोग 1952 के प्रथम चुनाव में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर काफी उग्र थे। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलू राजू ने भूख हड़ताल किया जसमें 58 दिनों के बाद 15 सितम्बर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस विरोध को केन्द्र ने गंभीरता से लिया और इनकी मांगें मान लीं। इस तरह 1 अक्टूबर, 1953 को आंध्रप्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ।

सरकार ने क्षेत्रीय भाषा-भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए 'राज्य

पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 ई. में सौंप दी। इसने तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया एवं असमिया भाषी लोगों के लिए अलग-अलग राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की। विशाल हिन्दी भाषी क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा एवं सांस्कृतिक एकरूपता को देखते हुए कई राज्यों में विभाजित किया गया। कुछ वर्षों के बाद से राज्यों के विभाजन की मांग भी उठने लगी और तीव्र आन्दोलन का रूप भी अख्तियार किया। फलस्वरूप 1960 में बंबई प्रांत का, मराठी भाषी महाराष्ट्र एवं गुजराती भाषी गुजरात में, 1966 में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2001 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को, मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर 28 वें राज्य के रूप में गठन किया गया। अभी भी महाराष्ट्र से अलग करके विदर्भ, आंध्रप्रदेश से तेलंगाना, एवं पूर्वोत्तर में बोडोलैंड के गठन की मांग को लेकर लगातार आन्दोलन हो रहे हैं।





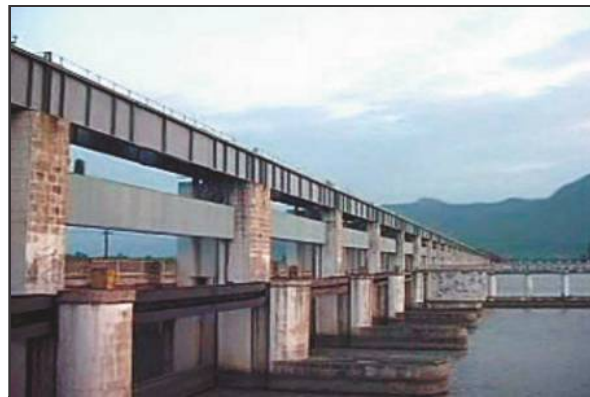
fodk l dh ;k=k

हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने आजादी के पहले ही यह महसूस किया था कि राजनीतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है। अगर भारत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से मुक्त होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनता है तो राजनीतिक आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। अतः भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए, आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि



और उद्योगों के लिए आधार निर्मित करना सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार ने महसूस किया कि बगैर सरकारी सहयोग एवं योजना के देश की आर्थिक प्रगति तेजी से नहीं हो सकती। अतः सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया। अब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर योजना के परामर्श से उत्पादन को बढ़ाएंगे एवं रोजगार करेंगे। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी करने का सफल प्रयास किया।

सबसे पहले अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए योजना आयोग ने 1951-56 के बीच कृषि को सुनियोजित रूप से सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-67) में देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों के स्थापना पर बल दिया गया। हालांकि



fp= 4 & fl plbi d l k/ku fodfl r dju gr xMd unh ij cuk ck/

उद्योगों की स्थापना तो हुई लेकिन खेती, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन सीमित थे और आवश्यकताएँ अधिक

थीं। भविष्य में पर्यावरण को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए गाँध जी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में ही कहा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन के पुराने नियमों के हिसाब से अपनी जिन्दगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएँगे।



fp= 5 & ckdjk bLkr l;=

हमारी सरकार ने विश्व के विकसित देशों के सहयोग से भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि जगहों पर बड़े-बड़े उद्योग लगाए। इसी तरह भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा आदि के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी से काफी प्रगति कर ली है। आज भारत का विकास दर चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए महत्मा गाँधी नरेगा, कोई व्यक्ति भूखा न रहे उसके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी योजना आदि पर सरकार काफी संजीदा है।



fp= 6 & cjkuk fjQkbujh

1990 के दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में ढाँचागत परिवर्तन हुआ। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति ने कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, आधुनिक संचार एवं परिवहन के साधनों यथा दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों एवं टेलीफोन



fp= 7 & gnjkcn dk lkVVo; j lVj

सेवा आदि के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने एक नई पहचान बनाई। बंगलोर की पहचान भारत की सिलिकान वैली के (अमेरिका) रूप में बनी। माइक्रोसाफ्ट जैसी कम्पनी ने हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) में साफ्टवेयर विकास केन्द्र की स्थापना की।

भारत में रेलवे, डाक एवं संचार, बैंक, बीमा, आर्थिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, सुरक्षा सामग्री से जुड़े उद्योग आज भी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं जबकि अन्य बड़े उद्योगों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बड़े पैमाने पर है जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। दोनों क्षेत्रों की भागीदारी से भारत में तकनीकी एवं आधारभूत संरचनाओं का संतोषजनक विकास हुआ है। फलस्वरूप आजादी के बाद जनसंख्या में तीन गुणी से भी अधिक वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग तीन गुणी वृद्धि हुई है।

यकद्रkf=d l 'kfDr dj.k

आजादी के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। आप इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कई समस्याओं के बावजूद भारत ने सफलातापूर्वक आर्थिक विकास, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा संबंधी विवादों का निपटारा, साम्प्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण किया। देश की विदेश नीति का संचालन भी गुटनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया।

xVfuji i{krk dh uhfr&आजादी के समय विश्व दो बड़े राष्ट्रों अमेरिका और सोवियत रूस के खेमों में विभक्त था। भारत को सबकी मदद की जरूरत थी। अतः सबके साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह करते हुए किसी गुट में न रहते हुए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तथा भारत जैसे गरीब और विकासशील देशों को भी इसी नीति पर चलने की सलाह दी।

कुछ समय बाद भारत में लोकतांत्रिक आदर्श कमजोर होने लगे और आपातकाल की घोषणा की गई। देश में पुनः जनान्दोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी शुरुआत बिहार एवं गुजरात से हुई। नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आपात काल के दौरान प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि, प्रेस पर नियंत्रण, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, नसबन्दी द्वारा जन्म दर पर नियंत्रण, झुग्गी-झोपड़ी

उन्मूलन, कर्मचारियों के वृद्धि पर रोक तथा कठोर एवं आलोकतांत्रिक कदम उठाए गए। आपात काल के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्णक्रांति का आह्वान किया।

t ; idk'k ukjk; .k dh l i i .k Økfr dk eryc

जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा उनके राजनीतिक चिन्तन का अंतिम पड़ाव था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों एवं युवाओं को राजनीतिक दलों से अलग रहकर देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने का सुझाव



fp= 8 & xh/h enlu e tulkk dk lckfr djr g, t ;çdk'k ukjk; .k दिया। छात्र एवं युवा शक्ति के उदय का कारण सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश की खराब आर्थिक स्थिति एवं नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी है। 5 जून 1974 को पटना के गाँधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। इन्होंने कहा, 'आज आजादी के 27 वर्ष के बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। शिवत दिए बिना कहीं काम नहीं होता। लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे हैं परन्तु कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लाखों छात्रों एवं नौजवानों का भविष्य अन्धकार में है। गरीबी बढ़ रही है। किसानों की स्थिति दयनीय है।' इस स्थिति से छुटकारा पाने लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारण को सामने रखा तथा इसके लिए सत्ता परिवर्तन को आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि 'संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियाँ सम्मिलित हैं। यह संख्या कम या अधिक भी हो सकती है।' इन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, परन्तु यह आवश्यक है। जब हमारे प्रतिनिधि भ्रष्ट, अक्षम और भाई भतीजावाद के शिकार हैं तो उन्हें सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद ही व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन के लिए काम करना होगा।

जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासी संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई। इन्होंने महंगाई पर नियंत्रण के साथ-साथ कृषि एवं औद्योगिक मजदूरों की दशा सुधारने पर भी बल दिया। जयप्रकाश जी ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआ-छूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। इन्होंने इसके लिए शिक्षा की भी बात की। लेकिन शिक्षण-व्यवस्था देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो इसलिए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में अमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता बताई। कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। इस सरकार ने आपातकाल में प्रेस आदि पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया तथा नागरिक अधिकारों को फिर से बहाल किए। जनता पार्टी की सरकार ने संसदीय संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें पुनः इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। श्रीमती गाँधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आन्दोलन हुए। इनके विरुद्ध जून 1984 में आपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गाँधी के दो सिक्ख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी।

श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद इनके बड़े बेटे राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने इनके नेतृत्व में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ। इन्होंने देश में तेज आर्थिक विकास एवं संचार क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना भी दिखाया। लेकिन भ्रष्टाचार संबंधी (बोफोर्स घोटाला) विवादों में घिर जाने के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा।

ub jktuhfrd 0;oLFkk dk tUe xBc/ku ,o| ekpl dh jktuhfr& 1989 से भारत की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। सबसे पहले वी.पी. सिंह के नेतृत्व में मोर्चे की (जनता दल, भाजपा एवं वामपंथियों की) मिली जुली सरकार बनी। आपसी खींच-तान के कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और मध्यावधि चुनाव में देश को जाना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी।

इस सरकार के समक्ष कई समस्याएँ खड़ी थीं। देश आर्थिक रूप से बदहाली के दौर से गुजर रहा था। अयोध्या मंदिर—मस्जिद विवाद और वी.पी. सिंह सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के कारण देश में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कश्मीरी अलगाववादियों की भी गतिविधियाँ बढ़ने लगी थीं। इसी बीच 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना ने भी पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। कांग्रेस की सरकार ने इन आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का सामना सफलता पूर्वक समापन किया तथा देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधारों के माध्यम से पटरी पर लाया। इस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया।



fp= 9 & ik[kj.k&1 ijek.k ijh{k.k bfnjk xk/kh
dh ljdkj e 1974 e gvkA



fp= 10 & ik[kj.k 2& ijek.k ijh{k.k ckt i;h th dh
ljdkj e 1998 e fd;k x;kA

अगले चुनाव में भाजपा की अगुआई में गठबन्धन की सरकार बनी। इस सरकार ने सफलता के साथ आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दौर को भी लागू किया। तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं तकनीक को मजबूती प्रदान करते हुए पोखरण-2 विस्फोट भी किया। यह सरकार 'फीलगुड एवं भारत उदय' के नारों के साथ चुनाव में गई लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति के कारण यह नारा फीका पड़ गया, और सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस गठबन्धन की जीत हुई। (मोर्चे की राजनीति का स्पष्ट ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस की नेतृत्व वाली मोर्चा संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) एवं भाजपा नेतृत्व वाली मोर्चा राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन) के नाम से जाना जाता है।

अभी लगातार दो चुनाव में कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार कई समस्याओं का सफलता पूर्वक सामना करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

x.kr= d l k B o"kk d ckn

स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। इस दौरान भारत ने लगभग हर क्षेत्र में सफलता के साथ कदम बढ़ाया। हमारे संविधान ने सरकार एवं देशवासियों के लिए कुछ मानदण्डों (आदर्शों) का निर्धारण किया जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक हम संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे लिए एक महान उपलब्धि है। स्वतंत्रता के समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकता है क्योंकि भारत में क्षेत्रीय, सांस्कृतिक एवं भाषायी विभिन्नताएँ मौजूद हैं। हर क्षेत्र या समूह अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग राष्ट्र की मांग करेगा और देश बिखर जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अलगाववादी आन्दोलन हुए भी लेकिन इसने देश की एकता एवं अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।

Hkkjr d fdu&fdu
{k=k e vyxkooknh
vkUnkyu g,) bl l
n'k dk D;k&D;k
ud lku >yu iM A
vki viu f'k{k d l
ppk djA



fp=&11

xjhckl dh n;uh; fLFfr ,o foink dk fn[kkrk gvk fp=&1] tcfid fp=&2 e lfo/k lEiUu ox d jgu& lgu dk Lrj fn[kkb; n jgk gA



fp=&12

कुछ विशेषज्ञों को ऐसा लगता था कि चूँकि भारत अविकसित और अभावग्रस्त देश है अतः यहाँ सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन ऐसी सारी आशंकाएँ गलत साबित हुई हैं। अब तक भारत में सफलता पूर्वक लोकसभा के 14 आम चुनाव एवं सैकड़ों विधान सभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं। देश की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम कर रही है। स्वतंत्र प्रेस हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इस तरह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं प्रगति की राह में भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता भी रुकावट नहीं डाल रही है। परन्तु सामाजिक क्षेत्र में जाति आधारित खाई अभी भी बरकरार है। आज भी हमारे दलित समुदाय के लोग भेद-भाव, छुआ-छूत के शिकार हैं। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा भरी निगाहों से देखा जाता है। इनके लिए जीने की जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, उसका भी अभाव है। हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के विपरीत कई जगहों पर धार्मिक समुदायों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा देश आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो रहा है लेकिन गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कुछ लोग अच्छे-अच्छे घरों में सारी सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो कुछ लोगों को जीतोड़ मेहनत के बाद भी दोनों शाम का खाना नसीब नहीं होता है। अमीर लोग अपने बच्चों के साथ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहाड़ों पर छुट्टियाँ बीताने जाते हैं लेकिन गरीबों को इलाज के लिए डाक्टर तक उपलब्ध नहीं है। अमीर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और बेहिसाब खर्च करते हैं लेकिन गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ पाते हैं।

ppk dj&dN
yKx viu cPpk dk
Ldy D;ka ugh Hkt
ikrA bl fo"K; ij
viu f'k{k d l Hkh
lg;Kx y l dr gA

आप पढ़ चुके हैं कि हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के सशक्तिकरण का प्रयास करता है, लेकिन स्वतंत्रता के समय हमारे राजनेताओं ने जो सपना देखा था क्या हम उसे प्राप्त कर पाये हैं? स्पष्ट रूप से नहीं। हम हर क्षेत्र में सफल होने का दावा नहीं कर सकते फिर भी हम विफल नहीं हैं।

Developed by:  ABSOL

www.absol.in

D;k vkid! Hkh liuk! dk
Hkkjr ,! l k gk l drk g!

क्या आनेवाले दिनों में हमारा भारत ऐसा हो सकता है, जहाँ गाँव और शहरों के बीच का अन्तर कम हो जाएगा। ऐसा भारत जहाँ कृषि, उद्योग और रोजगार बेहतर तालमेल के साथ काम करें, ऊर्जा (बिजली) सड़क, आवास और पानी सबके लिए उपलब्ध हो। भारत ऐसा राष्ट्र बने जहाँ सभी का इलाज हो। यहाँ की सरकार भरोसेमंद पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो। यहाँ से गरीबी और निरक्षरता जड़ से समाप्त हो जाए। बच्चे और महिलाएँ अत्याचार और शोषण से मुक्त हो और समुदाय का रहनेवाला हर व्यक्ति अलग-अलग महसूस न करें।

भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना और संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रिक पावर, तकनीकी आत्मनिर्भरता आदि क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। हमें गाँवों के तरफ लौटकर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी जो आज शहरों में उपलब्ध है। अगर शहर की सुविधाएँ गाँवों में आईं तो विदेशों में काम कर रहे लोग अपने देश लौटेंगे और भारत को समृद्ध बनाएँगे।

एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह



जिस समय भारत को आजादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था – संयुक्त राष्ट्र – अभी अपने शैशवकाल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए।

फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने-अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नवस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था।

मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब “अलग-थलग” या “तटस्थ” रहना नहीं था। अलग-थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह-सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक खैया अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा।

1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे।



fp= 13

वह;क।

वkb, fQj।;kn dj&

1- Igh fodYiki dk pu&

(i) ^Mo"kk i gy geu Hkfo"; dk ifrKk nh Fkh** fd l d Hkk" k .k dk v'k gl\

(क) महात्मा गांधी

(ख) जवाहरलाल नेहरू

(ग) राजेन्द्र प्रसाद

(घ) बल्लभ भाई पटेल

(ii) vkt knh d i e; Hkkjr d i k l dku l h i eL; k ugh Fkh\

(क) देशी रियासतों के विलय (ख) शरणार्थी की समस्या

(ग) पुनर्वास की समस्या (घ) नेतृत्व की समस्या

(iii) bue l dku I gh ugh gl\

(क) आजादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी।

(ख) भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था।

(ग) 90 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी।

(घ) भारत में उद्योग की कमी थी।

(iv) foHkk t u d i e; l c l cMh i eL; k D; k Fkh\

(क) धार्मिक उन्माद

(ख) गरीबी

(ग) जातिवाद

(घ) बिजली

(v) Hkk"kk d vk/kkj i j l c l i gy fd l jkT; dk xBu gvk\

(क) उत्तर प्रदेश

(ख) हिमाचल प्रदेश

(ग) आंध्र प्रदेश

(घ) तमिलनाडु

(vi) ^Mv x j fgUnh mu i j Fkkih x b r k cgr l k j y k x Hkkjr l v y x g k t k , x ** f d l u d g k \

(क) राजगोपालाचारी (ख) सरदार पटेल (ग) राधाकृष्णन (घ) कृष्णामाचारी

(vii) ^A l i i . k Ø k f r * d k u k j k f d l u f n ; k \

(क) जयप्रकाश नारायण (ख) विनोबा भावे (ग) महात्मा गांधी

(घ) अन्ना

हजारे

(viii) Hkk"kk ; h vk/kkj i j jkT ; k d i ux Bu dk foj k/k fd l u fd ; k\

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (क) जवाहरलाल नेहरू | (ख) बल्लभ भाई पटेल |
| (ग) उपरोक्त दोनों | (घ) किसी ने नहीं |

(ix) ik[kj.k&1 dk i jh{k.k fd l d i/kkuef=Ro dky e gvk\

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (क) जवाहरलाल नेहरू | (ख) इंदिरा गांधी |
| (ग) मोरारजी देसाई | (घ) अटल बिहारी वाजपेयी |

(x) lfo/kku l Hkk d v/ ; {k d : lk e fd l u gLrk{kj fd ; k\

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (क) जवाहरलाल नेहरू | (ख) राजेन्द्र प्रसाद |
| (ग) महात्मा गांधी | (घ) वल्लभ भाई पटेल |

vkb, fopkj dj&

- (i) आजादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी?
- (ii) आजादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी?
- (iii) हिन्दी भाषा का विरोध किसने किया?
- (iv) भाषायी आधार पर बनने वाले पाँच राज्यों के नाम बताएँ।
- (v) योजना आयोग का गठन कब किया गया?

vkb, dj d n[k&

- (i) हमारे संविधान में देश की एकता एवं अखण्डता का भरपूर ख्याल रखा गया है। इस विषय पर वर्ग में सहपाठियों के साथ चर्चा करें।
- (ii) आज हमारे देश की स्थिति क्या है? हम कहाँ तक सफल रहे हैं? इस सम्बंध में अपने विचार से सहपाठियों को अवगत कराएँ। ❀❀❀